निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन 1940 (श0)
(सं0 पटना 357) पटना, शनिवार, 9 मार्च 2019

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

अधिसूचना
7 जुलाई 2018

सं० टी.टी.प्रे. 695/2018—बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 समय–समय पर यथा संशोधित के अध्याय–V की धारा–17 के तहत् बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम–8(xii) के बाद उपविनियम (xiii) अन्तः–स्थापित कर संशोधित विनियमावली 2018 का अनुमोदन प्रशासी विभाग के पत्रांक–09/वि.वि.प.स.–21/2016 337, दिनांक 06.07.2018 के द्वारा प्राप्त हो चुका है। संशोधित विनियमावली, 2018 का हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्जन सर्वसाधारण को सूचित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 का संशोधन

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एतद्द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–**
   i. यह विनियमावली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमावली, 2018 कही जाएगी।
   ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   iii. यह संशोधन अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम 08 का संशोधन।
   उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम 08 के उपविनियम (xii) के बाद निम्नलिखित उपविनियम (xiii) जोड़ा जाएगा।–

(xiii) बिहार राज्य के अन्तर्गत वैसे प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिन्हे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियमावली, 2014 प्रख्यापित होने के पूर्व प्रशिक्षण सत्र 2014–16 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है एवं कतिपय कारणों से इन संस्थानों को समिति से संबद्धता प्रदान नहीं किया जा सका है एवं समिति द्वारा इन प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्रों की परीक्षा पूर्व के वर्षों में नियमित रूप से आयोजित की गयी है तथा परीक्षाफल भी प्रकाशित किये गये हैं, को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, दिल्ली से प्राप्त मान्यता के सत्रों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के अधीन समिति से संबद्ध समझा जाएगा।

परन्तु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के अधीन इस श्रेणी के सभी महाविद्यालयों का निरीक्षण एवं तद्नुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षम होगी।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 357-571+10 डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in